

२२/६/१८ प्राचीन गण वकील उपाय प्राचीन प्र. १११, १२० R+Ad के तहत पेश किया। दर्ज रजिस्ट्रार किया जावे। उपायगण को जॉर्जे RAD तालबाने से तलब किया जावे। आग्रह प्रायची दिनांक ५/१/१८ को पेश है।

एए

५ $\frac{7}{18}$ प्राचीन गण वकील उपाय प्राचीन प्र. रजिस्ट्रार ११.७.१८ को पेश है। एए

११ $\frac{7}{18}$ प्राचीन गण वकील उपाय। उपायगण की गणना हो चुकी है। आग्रह प्र. उपायगण को उपायगण के उपायगण को पेश है। उपायगण प्र. उपायगण दिनांक ३०.७.१८ को पेश है। एए

३० $\frac{7}{18}$ प्राचीन गण वकील उपाय। उपायगण प्र. उपायगण को पेश है। दिनांक ६.८.१८ को पेश है। एए

६ $\frac{8}{18}$ प्राचीन गण वकील उपाय। प्राचीन गण वकील उपायगण को पेश है। उपायगण प्र. उपायगण को पेश है। उपायगण प्र. उपायगण को पेश है। उपायगण प्र. उपायगण को पेश है। एए

उपायगण अधिकारी
कोटकासिम (आग्रह)

[1]

नयापान उपखण्ड आधिकारी कोरनासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन आधिकारी - श्री

<u>प्रार्थना पत्र संख्या</u>	<u>दिनांक</u>	<u>निर्णय दिनांक</u>
44/2018	22.6.2018	06-08-2018

उत्तरान

[1] रोहतास पुत्र लालचराम जाति अहीर निवासी दुण्डा देवा तहसील व
जिला गुरुग्राम (हरि.) - पार्थी

कनास

- [1] नरेश पुत्र उग्रोदान
- [2] रघुवीर पुत्र सुप्रसन्न
- [3] पुष्कर पुत्र रामस्वरूप
- [4] सरणी पत्नी केवलचराम जाति अहीरान निवासी मकडवा तहसील
कोरनासिम जिला अलवर (राज.) - उपपार्थी

प्रार्थना पत्र सं. 111 व 128 राज. अ. 2018
आदिनियम 1956.

आदेश -

1. श्री अजयलाल यादव आदिआपका पार्थी

पार्थी के अथ आदिआपका नयापान में उपरोक्त दोष
एवं प्रार्थना पत्र इस अर्थ का प्रेष किया कि विवाह के अहली
द्वारा सं. नं. 319 रकबा 1-13 वीथ वरके ग्राम मकडवा तहसील
कोरनासिम जिला पार्थी की कस्त कास्त एवं देवारी की आसरी
है। जिस पर किने पार्थी कास्ती व दास्ती दोष कायम कर
रकबा का रकब है। (अपार्थीका की आसरी, पार्थी की आसरी की
दोष से लगती हुई है।) किने अपार्थीका पार्थी की आसरी की
दोष की किने अथ कास्त रकब है। किने पार्थी ने विवाह के अहली
की विवाह के पंजाब कास्ती। जिस पर अपार्थीका ने कहा कि
मुताबिक पंजाब कास्ती नहीं करने देंगे। अतः प्रार्थना पत्र पर
आदि निर्णय है कि मुताबिक पंजाब दिनांक 19-5-18 को पंजाब-
कास्ती कास्ती जावे।


उपखण्ड आधिकारी
कोरनासिम जिला अलवर

प्रथम पत्र रोज रात्रि १२ बजे उपस्थितियों को जर्नी रोजिस्ट्रि
नियमानुसार किया गया। रात्रि १२ बजे के बाद के कार्यक्रम के लिए
जाने पर भी उपस्थितियों उपस्थित नहीं हुए सुनिश्चित करने
के लिए रात्रि १२ बजे तक जांच की अंतिम में लगे गये।

बदल विज्ञान आयोग का प्रस्ताव सुनी गई। विज्ञान
आयोग का ने अपने प्रथम पत्र में उल्लेख किया कि कार्यवाही
उत्तर नदी किनारे प्रस्ताव की आधार की जांच की उपस्थितियों
की आधार है। उपस्थितियों आये रोज किन प्रस्ताव की कार्यवाही
की उल्लेख को निश्चय करने रहे है। (उपस्थित किन प्रस्ताव ने
नियमानुसार कार्यवाही की प्रस्ताव) पर प्रस्ताव प्रस्ताव करके
लेकिन उपस्थितियों सुनिश्चित प्रस्ताव पत्रकारों की नहीं करने रहे है
इलाके सुनिश्चित प्रस्ताव पत्रकारों करके जावे।

विज्ञान आयोग की वही की बहल पर अंतिम किया रूप
प्रस्ताव व संलग्न दस्तावेज का अंतिम किया। प्रस्ताव आयोग का
का अंतिम है कि विज्ञान आयोग उपस्थितियों का आधार है जांच की
है और अंतिम रोज विज्ञान आयोग की उल्लेख को निश्चय करने
रहे है। प्रस्ताव प्रस्ताव दिनांक 19.05.18 का अंतिम किया।
प्रस्ताव की विज्ञान आयोग की कार्यवाही किया जाना अंतिम
प्रस्ताव रोज है।

अतः प्रस्ताव का प्रथम पत्र सुनिश्चित किया जाता है। अतः
अंतिम पर काजा संलग्न विज्ञान आयोग के विज्ञान आयोग द्वारा
रहे नं. 319 संख्या 1-13 वीं व 14 वीं ग्राम अंतिम रोजिस्ट्रि
कार्यवाही की सुनिश्चित प्रस्ताव निश्चय पत्रकारों की
करके जावे।

निश्चय आज दिनांक 06-06-2018 को अंतिम द्वारा किया
जाकर अंतिम अंतिम किया।

अंतिम अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)